Serial No. 8324   Circle:-:NA   Book No. :- 4   Deed No. 36

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000   Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Serial No. 8324

U 058243

Deed No.

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, गोपालगंज

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **23/07/2015** को **Pushkal Kumar Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमे रू0 **5000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **10315** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 36 के रूप में पुस्तक सं0 4 की जिल्द सं0 1 के पृष्ठ सं0 350 से **360** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल 11 पृष्ठों में संधारित किया गया।

दिनांक– 23/07/2015   टोकन नं॰ 8359 / 2015

अजय सिन्हा
निबंधन पदाधिकारी

सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

का

न्यास – पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक 23/07/2015 को स्थान गोपालगज (बिहार) के द्वारा **पुष्कल कुमार सिंह**, पिता – श्री प्रमोद सिंह, ग्राम – पहाड़पुर छांगुर, पो0 +अंचल– कुचायकोट, जिला – गोपालगंज (बिहार) पिन – 841501 के संस्थापक हैं जो कि ट्रस्ट के संस्थापक /ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएँगे।

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Sub District Registry Office,Gopalganj

Token Number 8354 | Reg. Year 2015 | Serial Number 8324 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Trustee — Pankaj Kumar

Sig. पंकज कुमार राय

Trustee — Pradip Kumar Singh

Sig. प्रदीप कुमार सिंह

Presented By — Pushkal Kumar Singh

Sig. पुष्कल कुमार सिंह

Trustee — Pushkal Kumar Singh (Sarswati Education & Welfeyar Trasht)

Sig. पुष्कल कुमार सिंह

Photo | Thumb | Index | Middle | Ring | Little

Trustee — Rekha Devi

Sig. रेखा देवी

Trustee — Vijay Pratap Singh

Sig. विजय प्रताप सिंह

Identified — Santosh Yadaw

Sig. सतोष यादव

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Scanned with OKEN Scanner

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख – शान्ती, संगठन, सदभाव एवं पूर्ण विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाएं तथा उपर्युक्त उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त संसाधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित प्रारम्भ मुद्रा 251000/– रू0 (दो लाख एकावन हजार रू0 मात्र) प्रदान करते है जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कर्यारत रहेंगे।

	न्यास का नाम		सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
	न्यास का पंजीकृत कार्यालय		राष्ट्रीय उच्च पथ– 28 पहाड़पुर दयाल पो0+अंचल+थाना– कुचायकोट, जिला – गोपालगंज, पिन – 841501
	न्यास का कार्यक्षेत्र		न्यास का कार्य क्षेत्र भारत तथा उसके (न्यास /ट्रस्ट) शाखा कार्यालय अलग – अलग जिलों, अनुमण्डलों, प्रखण्डों, कसबों में स्थापित होंगें।

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उदेश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उदेश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगें और उसकी आय बिना किसी पक्षपात के एवं कल्याणर्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

न्यास के ट्रस्टी सदस्य की सख्या :– न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।

मजमून पढ़कर समझ लिया दिनांक 23.?.2015

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

न्यास का गठन :–

क्र0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	उम्र	पता	पेशा	पद
1	पुष्कल कुमार सिंह, पिता –श्री प्रमोद सिंह(अध्यक्ष) KST0899963	38 वर्ष	ग्राम पहाडपुर छांगुर, पो0+अंचल–कुचायकोट, जिला– गोपालगंज, पिन–841501	समाज सेवी	संस्थापक न्यासकता / अध्यक्ष
2	रेखा देवी, पति– श्री पुष्कल कुमार सिंह BQEPD5576M	32 वर्ष	ग्राम पहाडपुर छांगुर, पो0+अंचल–कुचायकोट, जिला– गोपालगंज, बिहार, पिन–841501	समाज सेवी	सचिव
3	प्रदीप कुमार सिंह, पिता– श्री कमल देव सिंह KST0899955	42 वर्ष	ग्राम पहाडपुर छांगुर, पो0+अंचल–कुचायकोट, जिला– गोपालगंज, बिहार, पिन–841501	समाज सेवी	कोषाध्यक्ष
4	विजय प्रताप सिंह, पिता– श्री ललन प्रसाद सिंह BR/04/025/423386	37 वर्ष	ग्राम +पो0–देवापुर थाना+अंचल–बरौली, जिला– गोपालगंज,बिहार,	समाज सेवी	सदस्य
5	पंकज कुमार राय,पिता– श्री अशोक कुमार राय L5280782	26 वर्ष	ग्राम–वृन्दावन,टोला सदासी राय, पो0–वृन्दावन थाना– उच्चकागॉव, जिला–गोपालगंज,बिहार,पिन–841440	समाज सेवी	सदस्य

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्य को पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होगें इसकी आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

संस्थान का ज्ञापन

1 न्यास का नाम :– सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

2 न्यास का पंजीकृत कार्यालय :– राष्ट्रीय उच्च पथ– 28 पहाड़पुर दयाल पो0+अंचल+थाना– कुचायकोट, जिला – गोपालगंज,बिहार, पिन – 841501

ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :–

1 समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान एवं (बी0एड0) शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना। मेधावी गरीब छात्र – छात्राओं

प्रदीप कुमार सिंह उर्फ पुष्कल ... से
मजमून पढ़कर समझ लिया दिनांक 23.07.2015

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Scanned with OKEN Scanner

को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। यह संस्था महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों, युवाओं, युवतियों,छात्रो, अल्पसंख्यकों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक एवं ज्ञान के विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, अनाथालय, प्राईमरी स्तर से उच्चतर स्तर तक का विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय,तकनीकि शिक्षण संस्थान, बाल श्रमिक विद्यालय, छात्रावास , नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करेगी तथा जन–जन को साक्षर बनाने का प्रयास करेगी, सर्व शिक्षा एवं व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम के संचालन में सरकार की मदद करना।

2 समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

3 एन0सी0बी0टी0 (आई0टी0आई0) एन0सी0टी0ई0 प्रशिक्षण के कार्यक्रम को संचालन करना।

4 शिक्षित बेरोजगार युवक– युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्पूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, पारा मेडिकल एवं अन्य तकनीकी गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

5 समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल – बिवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगिताये आदि का आयोजन करना आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

6 प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन संप्रदाय को हर संभव सहयोग करना।

7 पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों का स्वच्छ पेयजल शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

8 पुस्तकालय, वाचानालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।

9 लोगों के स्वास्थ की रक्षा हेतु स्वास्थय सेवा उपलब्ध करना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एडस कैंसर, टी0बी0 कालाजार, हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपल्बध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10 समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खादी ग्रामोद्योग, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11 उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक, स्त्रोंतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

12 पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

13 नेत्रहीन, मूक बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण – प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो सम्पादन करना। विकालांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14 कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15 बेसहारा पशुओं की समुचित देख – रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एव रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16 अनाथ बच्चों, बृद्धों , विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन एवं पुनर्वास सेवागृह की व्यवस्था करना।

17 महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालन गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों को संचालन करना।

18 महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, मधुबनी पेंटिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19 राष्ट्रीय एकता, आपसी सदभावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद – भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की नियमावली

	परिभाषाएँ		
	(क) न्यास का नाम		सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
	(ख) न्यास का ट्रस्टी		संस्थापक/न्यासकर्ता मुख्य न्यासी होगें।
	(ग) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी		संस्थापक/न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
	(घ) पदाधिकारी		संस्थापक/न्यासकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे।
	(ड़) प्रबंध समिति		पदाधिकारी सहित दो अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होगें।
	(च) वर्ष		01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
	(छ)एक्ट		ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

2 सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक / न्यासकर्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/ न्यासकर्ता को अनुमति / स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सदस्यता पॉच प्रकार का होगा।

1 न्यासी सदस्य – संस्थापक/न्यासकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

2 साधारण सदस्य –कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रू0 जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते है।

3 स्थाई सदस्य – कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/– रू0 अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं।

4 संस्थागत सदस्य – कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/– रू0 अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते है।

5 संस्थागत सदस्य – जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहें जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप मे एक मुश्त 5000/– रूपये जमा करने होंगे।

3 सदस्यता की समाप्ति / विमुक्ति –

स्वयं त्यागपत्र देने पर, दिवालिया या पागल होने पर, न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर, न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।, प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर एवं संस्थापक द्वारा निष्काषित करने
पर।, प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने, संस्थापक/ न्यासकर्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

4 न्यास का प्रबंधन –

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक /न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थित में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनित किये जायेगें।

पंकज कुमार राय ट्रस्ट लिखवाने से सही मजमून पढ़कर समझ लिया दिनांक- 23-7-2015

MANAGER
J.K. International School
H.-28. Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K. International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे–

1 दान, चन्दा, अनुदान ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग, राशि धन...............

2 समय – समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।

3 न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच0डी0एफ0सी0/ आई0सी0आई0सीआई0/ मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।

4 न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु राजीव गॉधी फाउन्डेशन बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक, नावार्ड, कर्पाट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेन्ट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ संगठन, यूनेस्को या संगठनों से दान अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

5 न्यास के कोष /निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।

6 न्यास के कोष / निधि से अर्जित चल / अचल सम्पति किराये /लीज/पट्टे पर लेना एवं देना।

7 न्यास के नाम से बचत /चालू/आवर्ती जमा/ अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थान/न्यासकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समयः– समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाक घर को सूचित कराना।

8 न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।

9 न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु पूर्णकालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/ लापरवाही के लिए दंण्डित करना और नियुक्ति रद्ध करना।

10 न्यास के उद्धेश्य और नियमावली में आवश्यकातनुसार संशोधन करना।

11 किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्धेश्य की पूर्ति करना।

12 न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना।

13 न्यास के सम्पति , कोष/निधि समान उद्धेश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन, न्यास /ट्रस्ट को देना।

14 न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य /जिला/प्रखण्ड/पंचयत शाखा समिति गठित करना और उद्धेश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालन करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।

15 न्यास के आय – व्यय का लेखा जोखा रखना और वितीय वर्ष की न्यास के आय – व्यय का लेखा जोखा रखना और वितीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेखा का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण करना और अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

16 न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

17 न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।

18 संस्थान / न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनित करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापन / न्यासकर्ता द्वारा तय किया जाएगा।

19 संस्थापक/न्यासकर्ता को समय–समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेगे।

5 प्रबंध समिति का निर्वाचन – प्रबंध समिति का निवार्चनं प्रत्येक तीन वर्षो पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

6 प्रबंधक समिति का अधिकार :–

पॉच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किए जाएगें । शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेगें।

7 पदाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य :–

1 संस्थापन/न्यासकर्ता

1 संस्थापन/न्यासकर्ता के सर्वोच पदाधिकारी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगें।

2 न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।

3 न्यास के कार्यो की समीक्षा करना।

4 न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।

5 न्यास के लिए अतिरिक्त – संसाधन सृजित करना ।

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

6 आवश्यक्ता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थिति में संस्थान/न्यासकर्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।उनके निर्णय को न्यायलय में कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।

7 न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

8 संस्थान/न्यासकर्ता जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य को सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

9 संस्थापक / न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सके।

10 न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकारी के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

11 न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12 न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठको के लिए एजेन्डा / कार्यक्रम बनाना।

13 न्यास के समस्त आय – व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14 न्यास की अर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों / प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश – विदेश में प्रतिनिधित्व करना।

15 बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनरूप कार्य सम्पादित करना/अनुपालन करना।

16 न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करन।

17 आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 50,000/– (पचास हजार) रूपये तक खर्च करना।

18 राष्ट्रीय /राज्य/जिला/ शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

2 सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

सचिव न्यास की एकता का प्रतिकं होगा और न्यास की प्रतिष्ठा सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा प्रतिनिधि सभा, असाधरण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णनायक मत देने का अधिकार होगा। असमान्य स्थिति न्यास के आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करेगा। न्यास के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।

3 कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उतरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा। अधिक से अधिक पॉच हजार रूपये तक न्यास के कर्यो के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक, (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंको, मल्टीनेशनल बैक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा जमा कोष से रूपये की निकासी संस्थापक/न्यासकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु अध्यक्ष/संस्थापक न्यासकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

4 प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगें–

(क) न्यास के सभी चल – अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंधन के लिए उतरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उद्धेश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला/ अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।

(ड.) प्रबंध समिति प्रतयेक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

(च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्धेश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

(ज) न्यास के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

6 प्रबंध समिति की बैठक :–

1 साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया – जाना आवश्यक होगा।

2 प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।

3 बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

4 स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रथम सूचना के बाद किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

7 आम सभा :–

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अन्त में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होगें।

1 पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2 वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3 न्यास से कार्यो की समीक्षा करना।
4 अंकेक्षित आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5 अंकेक्षण की नियुक्ति करना ।
6 आगामी वर्ष के लिए आय – व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7 आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8 पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक/न्यासकर्ता/सचिव की अनुपति से विचार करना।

8 असाधारण बैठक :–

संस्थापक/न्यासकर्ता के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधरण बैठक बुलाई जा सकती है।

1.आवश्यकतानुसार संस्थापक/न्यासकर्ता की सलाह पर।
2.कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3.सभा /बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थपक /न्यासकर्ता के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक /न्यासकर्ता के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगीं।
4.आम सभा की बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।
5.प्रबंध समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
6.बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

9. मतदान :–

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा, किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी असाधरण परिस्थिति में प्रबंध समिति की बैठक अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

10. कार्यकाल :–

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगीं

11. रिक्त पदों की पूर्ति :–

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते हैं।

12. आय का स्त्रोत :–

न्यास के आय के निम्नलिखित स्त्रोंत होंगे–

प्रवेश शुल्क, सदस्यता, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान एवं चन्दा, अनुदान, ऋण, उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से चेरिटी

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

शो के आयोजन/ शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थान से, सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क, विघटित संस्थान एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी। निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकतें हैं। जिसका खर्च न्यास वहन करेगी।

13. कानूनी कारवाई :– न्यास से संबंधित विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के स्मृति पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

गवाह संजीत मिश्रा
सा० विद्यालियाँ

1.

1. पुष्कल कुमार सिंह वल्द श्री प्रमोद सिंह

2. रेखा देवी पत्नी श्री पुष्कल कुमार सिंह

पहचान

1. सतीश यादव पिता स्व. शिवजी प्रसाद
ग्राम- मठिया

3. प्रदीप कुमार सिंह
वल्द स्व कमलदेव सिंह

4. विनय प्रताप सिंह
वल्द . ललन प्रसाद सिंह

5. पंकज कुमार राय
वल्द – श्री अशोक राय

मुद्रक :– साकेत प्रिंटर्स & नेट प्वाइंट

23/7/15

Drafted by
[signature]
अधिवक्ता
23.07.2015

23/7/15

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 14315/-

Registration Fee

A1	10040	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	10040

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 275

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 10315

Registering Officer
Gopalganj

Date: 23/07/2015

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gopalganj on Thursday, 23rd July 2015 by Pushkal Kumar Singh Pramod Singh by profession Agriculture. Status - Trustee

पुष्कल कुमार सिंह

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:23/07/2015

Registering Officer
Gopalganj

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Santosh Yadaw ' age 32 Sex 'M', 'Sijoji Yadaw ', resident of 'Paharpur Chhangur,thana-Kuchaykot,dist-Gopalganj '.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

पुष्कल कुमार सिंह

Date : 23/07/2015

Registering Officer
Gopalganj

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gopalganj in Book 4 Volume No. 1 on pages on 350 -360 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-1 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Gopalganj

Date : 23/07/2015

Token No. : 8359 Year : 2015 S.No. : 8324 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 36

MANAGER
J.K. International School
N.H.-28, Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

मेरे द्वारा अंकित किया गया
हस्ताक्षर एवं लिपि

Principal
J.K.International School
Paharpur, Kuchaikote, Gopalganj

Scanned with OKEN Scanner